

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 131.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (लुहार) भर्ती नियम, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में लुहार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, लुहार समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2018 है।
(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति .**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
लुहार	11* (2018)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (रु.19900)
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।		

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(5)	(6)
अचयन	<p>(18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच)</p> <p>केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।</p> <p>टिप्पण 2: रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन ; और</p> <p>(ii) वेल्डर/फिटर/मैकेनिक(मोटर/डीजल/ट्रैक्टर) के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण पत्र;</p> <p>(iii) किसी सरकारी / अर्धसरकारी / स्वायत्त संगठन / लिमिटेड कंपनी में डीजल और गैसोलिन इंजन ट्रिब्लिंग रिम्स मानों के प्रचालन, अनुरक्षण और पूरी मरम्मत करने का एक वर्ष का अनुभव</p> <p>टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनूचित जतियों और अनूचित जनजतियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्र सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए दो वर्ष

<p>भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली पदों की प्रतिशतता</p>	<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा</p>
(10)	(11)
<p>1. पच्चीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>2. पचहत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>प्रोन्नति: केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में ऐसा हथोड़े वाला जिसने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000 रु.) में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>प्रशिक्षण: राष्ट्रीय भूमिगत जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर या किसी अन्य राष्ट्रीय स्तर के संस्थान से ड्रिल्लिंग और अनुषंगी उपस्करों के अनुरक्षण का स्तर -1 का दो सप्ताह का प्रशिक्षण अनिवार्य है।</p> <p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>												
(12)	(13)												
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड</td> <td>अध्यक्ष</td> </tr> <tr> <td>2. कार्यपालक इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>3. केन्द्रीय सरकार के विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी</td> <td>सदस्य</td> </tr> </table> <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड</td> <td>अध्यक्ष</td> </tr> <tr> <td>2. कार्यपालक इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड</td> <td>सदस्य</td> </tr> </table>	1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	अध्यक्ष	2. कार्यपालक इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	सदस्य	3. केन्द्रीय सरकार के विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी	सदस्य	1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	अध्यक्ष	2. कार्यपालक इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	सदस्य	3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	सदस्य	<p>लागू नहीं होता।</p>
1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	अध्यक्ष												
2. कार्यपालक इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	सदस्य												
3. केन्द्रीय सरकार के विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी	सदस्य												
1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	अध्यक्ष												
2. कार्यपालक इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	सदस्य												
3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	सदस्य												

[फा. सं. ए-31013/05/2017-सीजीडबल्यूबी]

ए. के. वाही, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 13th April, 2018

G.S.R. 131.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, Blacksmith, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Blacksmith in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Blacksmith, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and Level in Pay Matrix.**—The number of said post, its classification, and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Blacksmith	11 * (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs.19900) in the pay matrix.	Non-selection

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1 : The crucial date for determining the age-limit shall be	Essential: (i) Matriculation from recognised Board; and (ii) Industrial Training Institute Certificate in the trade of Welder/Fitter, Mechanic (Motor/Diesel/ Tractor).	Not applicable	Two years for direct recruits

<p>the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>Note 2: In case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange are asked to submit the names.</p>	<p>(iii) One year experience in operation, maintenance and overhauling of diesel and gasoline engine drilling rigs vehicles from Government/Semi Government/Autonomous organization/Limited Company.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in case the candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>		
---	---	--	--

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various method	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grade from which promotion / deputation / absorption to be made
(10)	(11)
<p>(i) Twenty five per cent by promotion failing which by direct recruitment.</p> <p>(ii) Seventy five per cent by direct recruitment.</p>	<p>Promotion:</p> <p>Hammerman in the Central Ground Water Board in Level-1 (Rs.18000) in the pay matrix with three years regular service in the grade.</p> <p>Training:</p> <p>Two weeks training in maintenance of drilling and ancillary equipment level-1 is mandatory from National Ground Water Training and Research Institute, Raipur or any other national level institute.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors will also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation periods.</p>

If Departmental Promotion Committee exist, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman 2. Executive Engineer, Central Ground Water Board – Member 3. A Group 'A' Officer from another Central Government Department – Member Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:- 1. Director (Administration), Central Ground Water Board - Chairman 2. Executive Engineer, Central Ground Water Board – Member 3. Administrative Officer, Central Ground Water Board – Member	Not applicable.

[F. No. A.-31013/05/2017/CGWB]

A. K. WAHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 132.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूजल बोर्ड, ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन), भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

1. केन्द्रीय भूजल बोर्ड, ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन), भर्ती नियम, 2011 में,-

(i) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

(ii) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन)	*24 (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसन्धिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु. 44900) में स्तर—7